(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष- डॉ0 एम0के0 अग्रवाल

सदस्य

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक- 4066-एक-2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.11.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 191/2015-16/अपील

रामसेवक पुत्र श्री रामचरण यादव
विडनिया तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)

--------आवेदक

बनाम

1 भज्जो पुत्र श्री रामचरण यादव
2 राघू यादव पुत्र रामचरण यादव
3 रमेश यादव पुत्र रामचरण यादव
निवासीगण विडनिया तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)

--------अनावेदकगण

श्री बी0एस0 धाकड आवेदक अधिवक्ता
श्री पी0के0 तिवारी अनावेदक अधिवक्ता

आ दे श

(आज दिनांक २३/३/१८ को पारित)

1. आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 08.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक के द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम विडनिया की भूमि सर्वे क्रमांक 117.से 124. तक एवं 126/2 138/4.142/1. 146 कुल किता 12 कुल करवा 4.37 है0 का बटवारा समस्त सह भूमिस्वामियों के मध्य कराये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा बटवारा आवेदन पर से प्रकरण क्रमांक 44/14-15/अ-27 कायम पर पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 से बटवारा आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.01.2016 से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त कर दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध दूसरी अपील अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 191/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 से अस्वीकार की गयी। अपर आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में उपस्थित तथ्यों के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार अनावेदक अधिवक्ता द्वारा भी वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जिनका उल्लेख प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेशों में अंकित किए जाने से यहां पुन: उल्लेखित कर लेख बद्ध नहीं किया जा रहा है किन्तु समग्र स्थिति पर विचार किया गया है।

4. मेरे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का तथा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08.11.2016 का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश के पैरा 7 एवं 8 में संहिता की धारा 178 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में विस्तृत एवं सारवान व्याख्या की गयी है जिसका उल्लेख आक्षेपित आदेश में होने से यहां इस आदेश में उसी व्याख्या को पुनरांकित न कर की गयी व्याख्या एवं निकाले गये निष्कर्शो से सहमति व्यक्त की गयी है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08.11.2016 के पेरा क्रमांक 7 एवं 8 में अंकित विस्तृत व्याख्या एवं निष्कर्श इस आदेश के निष्कर्श के भाग माने

जावेगे जिनके आधार पर अपर आयुक्त द्वारा अपील अस्वीकार की गयी है।

5. परिणामस्वरूप प्रकरण में उपस्थित तथ्यों के आधार पर निगरानी सारहीन होने से अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.11.2016 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा0रि0हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर